MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

G. S.R. 152(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 693(E) dated 17th October, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 17th October, 2013;

And, whereas, no objections and suggestions have been received from the public on the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (2nd Amendment) Rules, 2014.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule (8) of rule 93, the proviso shall be omitted.

[F. No. RT-11036/46/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note :-The principal rules were published vide number G.S.R. 590 (E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 99(E) dated the 19th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2014/फाल्गुन 14, 1935

No. 108] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2014/PHALGUNA 14, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

सा.का.नि. 152(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. संख्यांक 693 (अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के अधीन अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 अक्तूबर, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुभाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत: अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (द्वितीय संशोधन) 2014 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाए ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 के परंतुक में, उपनियम (8) को लोप किया जाएगा ।

[सं. आर. टी-110361/46/2013-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :-मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 99(अ), तारीख 19-2-2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।